

न्यायालय अनुमोदित दस्तावेज़ारी शैरी महुआ (गिरडीह)


वाद सं० 29/2017
अर्जुन दास वगैरह - बनाम - रघुनन्दन प्र० सिंह
द्वारा 144 के प्र० सं०


आदेश फलक

16.6.17

अभिलेख उपस्थापित | प्रबन्धित विवादित
भूमि देवरी थाना अन्तर्गत मौजा - रामपुर शनीडीह
खता न० 717 प्लॉट न० 26 रकबा 52 एकड़
चौहदी: - 30 - कच्ची सड़क, 40 - प्रसादी दास का
मकान, 50 - जंगल हाई स्कूल, 60 - दुर्गा मन्दिर
उक्त प्रबन्धित भूमि के संदर्भ में न्याया-
लय के समक्ष सुनवाची में दोनों पक्ष अनुपस्थित
रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि को लेकर
उन्हे कुछ नहीं कहना है। इस वाद में लगायी
गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है
इस लिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित


अनु० दस्ता०


अनुमोदित दस्तावेज़ारी
शैरी महुआ